रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255518
CG-DL-E-18072024-255518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946
No. 379] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

सा.का.नि. 416(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (आशुलिपिक समूह 'ग') भर्ती नियम, 2000, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड-III पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा में आशुलिपिक ग्रेड-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा, आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से जुड़ी अनुसुची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व - (1) आशुलिपिक ग्रेड-II भारत के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) यदि महालेखा नियंत्रक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिकारी के अनुरोध पर आशुलिपिक ग्रेड-II को उसी ग्रेड में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे मामलों में आशुलिपिक ग्रेड-II के स्थानांतरण से उसके ग्रेड में उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

5. निरर्हता:- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पत्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
आशुलिपिक ग्रेड-II.	55*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु 25,500-81,100)

क्या चयन पद है अथव गैर-चयन पद है अथवा अचयन पद	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक छूट)।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड:	लागू नहीं होता।

	टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	केवल कंप्यूटर पर श्रुतलेखन: 10 मिनट @80 शब्द प्रति मिनट। लिप्यंतरण: 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिन्दी)।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।**	**प्रोनन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए अनुसार परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आवश्यक प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। **टिप्पण:** अभ्यर्थी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: 1. लेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष; 2. उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एनजीई-13007/1/2020- एनजीई-सीजीए]

तृप्ति पात्रा घोष, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

G.S.R. 416(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Stenographer Group 'C') Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Liability for service in any part of India. - (1) The Stenographer Grade-II shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, transfer the Stenographer Grade-II on request by officer from one Ministry to the other Ministry in the same grade. The transfer of the Stenographer Grade-II in such cases shall not affect his or her seniority in his or her grade.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex- servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade-II.	55*(2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12^{th} class pass from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms: Only on computer dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi).	Not applicable

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(9)	(10)	(11)
Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Controller of Accounts or Deputy Controller General of Accounts - Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts - Member; 3. Senior Accounts Officer -Member.	Not applicable.

[F. No. NGE-13007/1/2020-NGE-CGA]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.18 22:26:55 +05'30'